रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226755
CG-DL-E-26042021-226755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943
No. 229]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 287(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41,50,109,110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल,परिवहन,टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 2 (यघ) के लिए निम्नलिखित उप नियम 2 (यघ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(यघ) "विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)" से अभिप्रेत है एक ऐसा मोटर वाहन, जिसका निर्माण या परिवर्तन इस प्रकार किया गया हो, ताकि इसका माल और / या यात्री परिवहन के लिए आवश्यक विशेष परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सके।"

3. उक्त नियमों [नियम 112] में उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(5) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात् विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात, कैश वैन और मोबाइल कैंटीन और एआईएस 163 में यथाविर्दिष्ट, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-163:2020 में निर्दिष्टानुसार आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(6) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात् दो पहिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर - फायर, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-167:2020 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(7) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष होने के पश्चात् इनसूलेटेड वाहन, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-164:2021 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(8) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात् मोटर काफिलें, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-124:2014 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।"

4. उक्त नियमों में, नियम 125-छ के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक और उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात् मोटर काफिलों के रूप में परिवर्तित मोटर वाहन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 124:2014 का अनुपालन करेंगे।

(3) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात् मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा निर्मित विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात, कैश वैन और मोबाइल कैंटीन और एआईएस 163 में यथापरिभाषित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 163 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(4) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह के पश्चात्, मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा निर्मित दो पहिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर – फायर समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 167 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(5) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा निर्मित इंसूलेटेड वाहन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 164 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

5. उक्त नियमों में प्रपत्र 22च में – शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "[नियम देखें 47ख (3), 112 (3), 112 (4), 126)]" के लिए शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "[नियम देखें 47ख (3), 112 (3), 112 (4), 112 (5), 112 (6), 112 (7), 112 (8), 126)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं.आरटी-11036/69/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April 2021.

G.S.R. 287(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by sections 41, 50, 109, 110, of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (...............Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), for rule 2 (zd), the following sub rule 2 (zd) shall be substituted, namely: -

"(zd) "Special Purpose Vehicle (SPV)" means a motor vehicle so constructed or altered to serve as a specific transportation requirement of goods and/or passenger transport."

3. In the said rules in [rule 112] after sub-rule (4) the following sub rules shall be inserted, namely.-

"(5) On and after six months from the date of issue of the notification, Special Purpose Vehicles, viz, Cash Vans and Mobile Canteen, and as described in AIS 163, shall comply with the requirements stated in AIS-163:2020, as amended from time to time.

(6) On and after six months from the date of issue of this notification, Two Wheeled First Responder – Fire, shall comply with the requirements stated in AIS 167:2020, as amended from time to time.

(7) On and after one year from the date of issue of this notification, Insulated vehicles, shall comply with the requirements stated in AIS-164:2021, as amended from time to time.

(8) On and after six months from the date of issue of this notification, Motor Caravans, shall comply with the requirements stated in AIS-124:2014, as amended from time to time."

4. In the said rules, in rule 125-G, after sub-rule (2), the following proviso and sub-rules shall be inserted, namely: -

"Provided that, on and after six months from the date of issue of this notification, motor vehicles modified as Motor Caravans shall comply with AIS 124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016).

(3) On and after six months from the date of issue of this notification, Special Purpose Vehicle, viz, Cash Vans and Mobile Canteen, and as defined in AIS 163, manufactured by Original Equipment Manufacturers, shall comply with the requirements of AIS 163, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016).

(4) On and after six months from the date of issue of this notification, Two Wheeled First Responder – Fire, manufactured by Original Equipment Manufacturer, shall comply with the requirements of AIS 167, as amended from time to time.

(5) On and after one year from the date of issue of this notification, Insulated Vehicle manufactured by Original Equipment Manufacturer, shall comply with the requirements of AIS 164, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016)."

5. In the said rules, in Form 22 F, - for the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3),112(3), 112(4), 126)]", the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3),112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 126)]", shall be substituted.

[No. RT-11036/69/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.26 18:21:05 +05'30'